न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी   जगदीश प्रसाद गौड़
R.A.S

दावा सं. 18/2017

उनवान

1. श्रवण सिंह पुत्र रावत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना

2. उम्मेद सिंह पुत्र रावत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना

3. भगवान सिंह पुत्र रावत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना

4. राज कंवर पत्नि रूप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना

5. भूपेन्द्र सिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना

6. गजेन्द्र सिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना

वादीगण

बनाम

1. अजीत सिंह पुत्र शिव सिंह जाति राजपूत निवासी उलाना तहसील नांवा जिला नागौर हाल निवासी बोड़िया कालोनी ग्राम मीठड़ी तहसील नावा जिला नागौर (राज०)

2. नरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह दत्तक पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना

3. उध्दव कंवर बेवा अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना

4. महेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना

5. हीतर सिंह पुत्र गंगा सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना

6. श्रीमति गोकुल कंवर पत्नी मोहन सिंह राठौड पुत्री रावत सिंह जाति राजपूत निवासी - मकान नं० 283/11 गली नम्बर 5 खानपुर रोड सुभाष नगर अजमेर (राज०)

7. श्रीमति सुमन कंवर पत्नी मनोहर सिंह राठौड पुत्री रूप सिंह जाति राजपूत निवासी - केयर आफ एल.एस. राठौड आर्चीड लोई इन्डस्ट्रीज डब्ल्यू एम. एल पहली मंजिल कीर्ति नगर न्यू दिल्ली

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

---- 2 ----

8. सुजाता कंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह पुत्री रूप सिंह जाति राजपूत निवासी केयर ऑफ जगमाल सिंह निवासी मकान नं० 84 नन्दगांव नाथ जी की थडी निवारू रोड जयपुर

9. सुनिता कंवर पत्नी ओम सिंह राठौड पुत्री रूप सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नं० 162 शक्ति नगर हीरापुरा पॉवर हाउस गज सिंहपुरा अजमेर रोड जयपुर

10 जितेन्द्र सिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत निवासी 2763 एफ लक्ष्मण विहार गली नम्बर 4 फेस 2 होली ग्राउन्ड गुरगांव (हरियाणा)

11 तहसीलदार तहसील नीमकाथाना

प्रतिवादीगण

वाद बाबत उद्घोषणा
इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थित : श्री कुंज बिहारी शर्मा एड० – वादीगण
श्री मुरारीलाल शर्मा एड० – प्रतिवादी सं 1
श्री बनवारीलाल जांगिड एड० – प्रतिवादी सं 2
श्री नरेन्द्र सिंह राठौड एड० – प्रतिवादी सं 5

निर्णय

दिनांक 8-2-2018

संक्षेप में वादीगण का वाद इस प्रकार है कि ग्राम नृसिंहपुरी पटवार हल्का गुहाला भू अभिलेख नि० छोड चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में अवस्थित पुराने ख० नं० 1717 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा नये ख० नं० 982 रकबा 0.48 हे० अवस्थित है। जिसमें वादीगण सं 1 लगायत 6 व प्रतिवादीगण सं 6 ता 10 का सम्पूर्ण हिस्सा है। वादीगण से वादीगण सं 1 ता 3 के पिता व वादीगण सं 4 के ससुर तथा वादीगण सं 5 ता 6 के दादा व प्रतिवादीगण सं 6 के पिता व प्रतिवादीगण सं 7 ता 10 के दादा स्व रावल सिंह पुत्र सावल सिंह जाति राजपूत निवासी नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना द्वारा दिनांक 8-1-1979 को पुराने ख० नं० 1717 नये ख० नं० 982 में खातेदार सवाई सिंह अर्जुन सिंह पुत्रगण अमर सिंह, माईदान सिंह पुत्र कान सिंह निवासी नृसिंहपुरी से पुराने ख० नं० 1717 में उनका सम्पूर्ण हिस्सा खरीद कर कब्जा वादीगण के पिता व दादा को सम्भला दिया था। उस दिन से लेकर आज दिनांक तक उक्त जमीन का कब्जा वादीगण 1 ता 6 व प्रतिवादीगण 6 ता 10 के परिवार के पास है। जो उपरोक्त भूमि में काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण के पिता अनपढ होने के कारण बैनामा करवाकर घर पर रख लिया और उक्त बैनामा के आधार पर नामा० रेवन्यू रिकार्ड

में नहीं चढवाया। उक्त खसरा नम्बर में राजस्व रिकार्ड
बेचान कर्ता व बेचान कर्ता के वारिसान के नाम खातेदारी
चली आ रही है। प्रतिवादी सं 5 के पिता गंगा सिंह ने भी
उक्त कृषि भूमि को वादीगण के पिता व दादा को बेचान कर
दी थी। परन्तु प्रतिवादी सं 5 के पिता स्व गंगा सिंह उस वक्त
बाहर गये हुए होने के कारण बैनामा पर हस्ताक्षर नहीं हुए।
विक्रय कर्ता सवाई सिंह की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी स्व.
बादाम कंवर पत्नी स्व. सवाई सिंह के नाम विरासत के आधार
पर नामा० खुल गया। बादाम कंवर की मृत्यु के बाद प्रतिवादी स 2
नरेन्द्र सिंह के नाम विरासत के आधार पर नामा० खुल गया।
विक्रय कर्ता अर्जुन सिंह की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर विरासत
के आधार पर प्रतिवादी 3 व 4 व प्रतिवादी 2 के नाम नामा० खुल
गया। आईदान सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी विरासत के
आधार पर उनकी पुत्री इन्द्र कंवर के पुत्र प्रतिवादी सं। अजीत
सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड मे नामा० चढा दिया। परन्तु उपरोक्त
ख०न० 1717 को दिनांक 8-1-1979 को अर्जुन सिंह सवाई सिंह
व आईदान सिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के पिता
व दादा रावत सिंह को बेचान कर दिया था। इसलिए उपरोक्त
ख०न० से प्रति०। ता 4 का नाम हजफ किया जाकर स्व० रावत
सिंह के वारिसान मद सं। में वर्णित सजरा के अनुसार
दुरूस्त करवाकर वादीगण के परिवार के नाम नामा० तस्दीक
करवाया जावें। ख०न० 1717 रकबा। बीघा 18 बिस्वा नये ख०न०
982 रकबा 0.48 हे० मे से 3।4 हि० वादीगण के पिता व दादा
स्व० रावत सिंह के नाम प्रति० सं। ता 4 के पिता पति व नाना
ने बैनामा दिनांक 8-1-79 को उप पंजियन कार्यालय श्रीमाधोपुर
में पंजिकृत करवा दिया था। एवं उसी वक्त बेचान राशि
एक हजार रुपये विक्रेतागण को नगद अदा कर दी थी।
वादीगण का नाम नहीं चढने से भूमि का विकास नहीं कर
पा रहे है। वादीगण व वादीगण के परिवार की बेनामा। विक्रय
पत्र कब्जा एवं काश्त के आधार पर मद सं। में अंकित सजरा
के अनुसार उपरोक्त पुराना ख०न० 1717 नया ख०न० 982 का
खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर उदघोषणा करवाये जाने
का वादीगण को अधिकार प्राप्त है। वादीगण भाई बटंवारा
करने के लिए जमाबंदी दिनांक 21-11-16 को निकलवायी तो
पता चला कि हमारे नाम ख०न० 1717 नये ख०न० 982 की
खातेदारी हमारे नाम नहीं है। वादीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर
को आवेदन नामा० खोलने बाबत दिनांक 28-11-2016 को दिया
था। सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने बाबत कहा। इसलिए
वाद दायर करना आवश्यक हुआ। ग्राम नृसिंहपुरी मे अवस्थित
पुराने ख०न० 1717 रकबा। बीघा 18 बिस्वा नये ख०न० 982 रकबा
0.48 हे० अवस्थित है। जिसमे वादीगण सं। ता 6 का एवं उनके
परिवार का बेनामा। विक्रय पत्र दिनांक 8-1-79 कब्जा व काश्त
के आधार पर वाद पत्र की मद स। मे अंकित सजरा के
अनुसार सभी वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया

जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर रावत सिंह के वारिसान / सजरा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर दुरस्त किया जावे।

वादीगण कि ओर से वाद पत्र पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं 1,2 5 8,9,10 जरिये वकील उपस्थित हुए एवं जबाव पेश किया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनु० रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। <u>प्रतिवादी</u> सं 1 ने जबाव पेश कर जबाव के विशेष कथन मे अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि में उत्तरदाता अपने हिस्से की जमीन पर लगातार अपने नाना आईदान के वक्त से काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। वर्तमान फसल भी उत्तरदाता ने ही काश्त की है। वादीगण का कोई सरोकार नही है न कभी कब्जा रहा न कब्जा है। आईदान सिंह ने अपनी खातेदारी की जमीन कभी भी रावत सिंह को विक्रय नही की न कोई कब्जा दिया। बैनामा फर्जी है। आईदान सिंह के फर्जी हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति से कराकर फर्जी बैनामा तैयार कराया गया है। जिसे इतने दिनो तक इसी कारण छिपा कर रखा गया था अब आईदान सिंह की मृत्यु होते ही उक्त फर्जी बैनामा से यह मिथ्या दावा बिना कब्जे के बिना किसी अधिकार के पेश किया गया है। जो काबिले खारीज है। वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावे। <u>प्रतिवादी</u> सं 2 ने अपने जबाव के विशेष कथन में अंकित किया कि वादीगण द्वारा उक्त भूमि का प्रतिवादी 2 ने न तो कभी कोई तथाकथित बैनामा बनाया तथा ना ही किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त है। अतः वाद खारीज फरमाया जावें। <u>प्रतिवादी सं 5</u>: जबाव पेश कर अंकित किया कि प्रतिवादी न० 5 के पिता स्व० गंगा सिंह के द्वारा वादीगण के पिता व दादा को बेचान करना स्वीकार नही है। प्रतिवादी न० 5 के पिता स्व० गंगा सिंह के बाहर जाने की बात भी गलत है और स्वीकार नही है। मुझ प्रतिवादी सं 5 के पिता द्वारा उक्त भूमि ख० न० पुराने 1717 को वादीगण को विक्रय करने की बात बिल्कुल गलत है। और स्वीकार नही है। विरासत के आधार पर जो नामान्तकरण खोले गये है उनकी जानकारी प्रति० न० 5 को नही है। प्रतिवादी न 5 भूमि ख० न० 1717 के 1/2 हिस्से पर कई वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है। भूमि ख० न० 1717 मे वादीगण के पिता व दादा स्व० रावत सिंह के द्वारा 3/4 हि० बाबत बैनामा दिनांक 8-1-89 को उप पंजीयक कार्यालय नीमकाथाना में पंजीकृत करवाने की जानकारी नही होने से स्वीकार नही है। वादीगण को इस मद में भूमि ख० न० 1717 पुराने का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का कोई अधिकार नही है। ख० न० नये 982 का नामा० नही चढने का ज्ञान नही होने की बात गलत है। 38 साल बाद जानकारी होने की बात गलत दर्ज की है। रावत सिंह की पुत्री व पौत्र व पौत्रीयो को पक्षकार नही बनाया है दावा मियाद बाहर पेश किया है जो तुरन्त प्रभाव से खारीज

अधिकारी)
काथाना

किये जाने योग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावे। प्रतिवादी 8,9,10 कि ओर से वकील प्रतिवादी जवाब पेश नही करना चाहते है।

वाद पत्र में जवाब पेश होने के पश्चात तनकीयात कायम की गई एवं साक्ष्यवादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी ली जाकर बहस वकुलाय उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादीगण ने बताया कि पुराने भूमि ख०न० 1717 नये ख०न० 982 जो ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना में स्थित है। जिसको प्रतिवादी सं 6 के पिता व प्रतिवादी 7 ता 10 के दादा रावत सिंह पुत्र सावत सिंह राजपुत निवासी नृसिंहपुरी द्वारा दिनांक 8-1-79 को पुराने ख०न० 1717 नये ख०न० 982 में खातेदार सवाई सिंह अर्जुन सिंह पुत्रगण अमर सिंह, माईदान सिंह पुत्र कान सिंह से उनका सम्पूर्ण हि० खरीद किया था। उसके पश्चात कब्जा वादीगण के पिता व दादा को सम्भला दिया था। खरीद के पश्चात लगातार खरीद शुदा भूमि पर वादीगण का ही कब्जा है। प्रतिवादी सं 5 के पिता गंगा सिंह द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया था परन्तु उस समय गंगा सिंह बाहर होने के कारण बैनामा पर हस्ताक्षर नही हो पाये। खरीद शुदा भूमि की कीमत सम्पूर्ण उसी समय अदा कर दी गई थी। वादीगण बुजुर्ग व अनपढ होने के कारण नामा० नही खुलवा पाये। बैनामा का नामा० नही होने की जानकारी होने पर तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष प्रार्थना पत्र भी पेश किया था परन्तु उनके द्वारा सक्षम न्याया० से आदेश लाने की बात कही गई तब दावा पेश करना पड़ा। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे एवं विक्रय पत्र के मुताबिक नामा० दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। नजीर पेश की।

वकील प्रतिवादी सं 1 द्वारा लिखित बहस पेश कर अंकित किया कि वादीगण द्वारा जो दावा पेश किया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाब पेश किया गया उनके आधार पर मान० न्याया० जो तनकीयात कायम की गई उनमे से तनकी न० 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा उन तनकियो को साबित करने के लिए पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की ना किसी दस्तावेज को अपनी साक्ष्य मे प्रदर्शित करवाया। प्रदर्शित नही कराने पर कोई भी दस्तावेज साक्ष्य में पढा जाने योग्य नही है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र व साक्ष्य शपथ पत्र में विक्रय पत्र दिनांक 8-1-79 के आधार पर खातेदारी की घोषणा का दावा किया गया है। जबकि उक्त दिनांक का कोई विक्रय पत्र ही निष्पादित नही है। पत्रावली मे जिस विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है वह विक्रय पत्र दिनांक 26-12-78 का है। इन तमाम तथ्यो के आधार पर दावा खारीज योग्य है। ना ही कब्जे काश्त बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश की गई है। ----6--

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

वादीगण द्वारा प्रतिवादी 1 ता 4 के नाम खातेदारी होना इनको खातेदार स्वीकार किया गया है इस प्रकार प्रतिवादी मजीत सिंह रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है एक रिकॉर्डेड खातेदार का नाम मात्र मौखिक साक्ष्य से रिकार्ड से नही हटाया जा सकता। वादी श्रवण सिंह द्वारा जिरह में रजिस्ट्री दिनांक 7-1-79 को हुई थी। दावा दूसरी रजिस्ट्री के आधार पर नही है। इस प्रकार वादी द्वारा पत्रावली पर इस दिनांक की कोई रजिस्ट्री प्रदर्शित नही करवाई है। वादी श्रवण सिंह ने जिरह मे कथन किया है" आईदान सिंह ने दिनांक 8-1-79 के अलावा मेरे पिता के पक्ष में कोई विक्रय पत्र तस्दीक नही करवाया। इस दिनांक का कोई विक्रय पत्र साक्ष्य मे प्रदर्शित नही करवाया। पत्रावली में जो फोटो प्रति विक्रय पत्र पेश है वह दिनांक 26-12-78 का विक्रय पत्र है। जिसके निष्पादित होने को वादी श्रवण सिंह द्वारा इंकार किया गया है। पत्रावली मे पेश विक्रय पत्र दिनांक 26-12-78 की फोटो प्रति कानूनन काबिल दाखिल शहादत नही है इस विक्रय पत्र के आधार पर दावा भी नही किया गया है। इस फोटो प्रति विक्रय पत्र से वादीगण को कोई अधिकार नही मिलते ना ही इनका दावा साबित होता है। वादी द्वारा पेश अन्य गवाहान भी वादग्रस्त भूमि के पड़ोसी काश्तकार नही है तथा इनके बयानो मे भी विरोधाभास है। अतः वादीगण का वाद खारीज किया जावे। दौराने बहस वकील प्रतिवादी सं. 1 ने नजीर भी पेश की।

दौराने बहस वकील प्रतिवादी 2 ने बताया कि प्रतिवादी 2 ने कभी कोई बैनामा नही कराया। दावा गलत पेश किया गया है। वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावे।

दौराने बहस वकील प्रतिवादी 5 ने बताया कि प्रतिवादी सं 5 के पिता द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान नही किया है। ना ही कोई बैनामा पर अपने हस्ताक्षर किये है। बैनामा फर्जी है। प्रतिवादी सं 5 अपने पिता के स्वर्गवास होने के पश्चात स्वयं काश्त करता आ रहा है। वाद मे रावत सिंह की पुत्री पौत्र व पौत्रियो को पक्षकार नही बनाया गया है। दावा मियाद बाहर है। नामा० नही होने की जानकारी नही होने की बात गलत दर्ज की गई है। वादीगण का इसके हिस्से की भूमि से कोई सम्बंध नही है। अत वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावे।

बकुलाप उभय पक्ष की बहस को ध्यान-पूर्वक सुना गया एवं मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व फोटो विक्रय पत्र दिनांक 8-1-79 का अवलोकन किया गया। पत्रावली व रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख०न० 1717 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वन ग्राम नृसिंहपुरी पटवार हल्का गुढाला मे स्थित था जिसके अब नये ख०न० 982 रकबा 0.48 है० बनाये गये है। जिसके खातेदार पूर्व मे आईदान सिंह, सवाई सिंह

अर्जुन सिंह व गंगा सिंह थे।" प्रतिवादी सं 1,2,5 का वाद में मुख्य कथन के अनुसार पुराने भूमि ख०न० 1717 व नये ख०न० 982 का कोई बैनामा नही होना बताया एवं वादीगण का कब्जा नही होना बताया"। पत्रावली में प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटो प्रति दिनांक 8-1-79 के अवलोकन से जाहिर है कि भूमि ख०न० 1717 के खातेदार आईदान सिंह सवाई सिंह व अर्जुन सिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बैंचान रावत सिंह पुत्र सावत सिंह जाति राजपूत निवासी नृसिंहपुरी तन गुहाला को राशि 1000/- रुपये में किया है। इस बात से यह स्पष्ट है कि 1000/- रुपये राशि का नकद भुगतान करके रावत सिंह ने जरिये विक्रय पत्र भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। विक्रय पत्र में स्पष्ट लिखा है कि रुपया चुकता नकद प्राप्त कर लिया कब्जा व मालिकाना हक खरीददार का हो चुका है। अब अपने नाम नामा० करा लेगा। प्रतिवादी स। का कथन है कि बैनामा फर्जी है तथा प्रतिवादी जिरह में इस बात का उल्लेख भी किया कि आईदान सिंह के नाम का दूसरा व्यक्ति बनाकर बैनामा तैयार करवाया गया है। परन्तु प्रतिवादी स। द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है कि बैनामा को फर्जी मानकर सक्षम न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई चाराजोई की गई हो। या बैनामा को निरस्त कराने की कार्यवाही की गई हो। प्रतिवादी स। जो अपने आप को आईदान सिंह के गोद जाना बताकर आ रहा है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज / गोद नामा भी पेश नही किया गया है जिससे की इस बात की पुष्टि हो सके। जबकि अपनी जिरह मे इस बात को स्वीकार भी किया था कि गोद नामा मेरे पास है मै पेश कर दूगा परन्तु पेश नही किया गया। ना ही प्रतिवादी स। ने कब्जे के सम्बध में कोई दस्तावेज पेश किया है। जिससे उक्त भूमि पर उसका कब्जा साबित हो सके। ना ही ऐसा कोई रिकार्ड पेश किया गया है जिसमे उसके नाम के साथ आईदान सिंह का नाम अंकित हो। बैनामा फर्जी है तो आज दिनांक तक उसको निरस्त करवाने की कार्यवाही क्यो नही की गई। इस आधार पर प्रतिवादी स। के कथनो पर विश्वास नही किया जा सकता। विक्रय पत्र मे सम्पूर्ण रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का अंकन दर्ज है। परन्तु यह बात सही है कि प्रतिवादी स 5 के पिता स्व गंगा सिंह के हस्ताक्षर नही है। इस बात से यह स्पष्ट है कि अगर विक्रय पत्र पर गंगा सिंह के हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी ही नही है तो यह स्पष्ट है कि उसने अपने हिस्से की भूमि का बेचान नही किया। वादीगण स्वयं भी इस बात को स्वीकार करते है कि विक्रय पत्र पर गंगा सिंह के हस्ताक्षर नही है। उक्त भूमि में स्व गंगा सिंह का 1/4 हिस्सा बताया है। वादीगण द्वारा विक्रय पत्र बाबत जो वाद प्रस्तुत किया है तथा जिसके

उपखण्ड अधिकारी
...

समर्थन में जो साक्ष्य करवाये है उससे वाद पत्र को बल मिलता है। एवं वाद पत्र में अंकित तथ्यो की पुष्टि होती है।

जहाँ तक नामा० नही होने का प्रश्न है जिसमे गलती क्रेता एवं विक्रेता की नही मानी जा सकती दस्तावेज पंजीयन होने के पश्चात पंजियन शुदा दस्तावेज की एक प्रति सब रजिस्ट्रार द्वारा तहसीलदार को भेजनी होती है ताकि उसका राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो सके। जिसकी पालना उक्त प्रकरण के सम्बध मे नही होने के कारण विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही हो सका। विक्रय पत्र से यह स्पष्ट होता है कि खातेदार आईदान सिंह सवाई सिंह अर्जुन सिंह ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है। बैनामा दिनांक 26-12-78 को पंजीयन कार्यालय मे प्रस्तुत किया गया था परन्तु स्व. गंगा सिंह उस वक्त मौजूद नही होने से बैनामा तस्दीक उस दिन नही हुआ फिर भी उपस्थित नही होने पर दिनांक 8-1-79 बैनामा पंजीयन अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया है। जो दस्तावेज से स्पष्ट है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे उक्त भूमि पर उनका कब्जा साबित होता हो या बेचान नही किया गया हो। वादीगण का कब्जा होने की बात विक्रय पत्र से स्पष्ट साबित होती है। एवं मालिकाना हक भी साबित होता है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। वादीगण का वाद साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तथा विक्रय पत्र से वादीगण का वाद साबित होता है और यह भी स्पष्ट है कि खातेदार आईदान सिंह सवाई सिंह अर्जुन सिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है। इस आधार पर इनके हिस्से हिस्से तक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद विक्रय पत्र दिनांक 8-1-79 के मुताबिक डिक्री किया जाता है तथा विक्रय पत्र में दर्ज भूमि के हिस्से मे से 0.36 हे० का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण का असल रिकार्ड देखकर उक्त भूमि की खातेदारी में वादीगण सं. 1 ता 6 व प्रतिवादीगण 6 ता 10 के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जावें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(Signature) 8/2/18

(जगदीश प्रसाद गौड)
(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

(Seal: उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर))